न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,रावतभाटा जिला- चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी - महेश गगोरिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या प्रार्थना पत्र -02/2025

अनवान

मांगीबाई पत्नी राधेश्याम मेहर, उम्र बालिग, निवासी ग्राम मोहना, तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ राज. मो.न.-9602155406

-वादीया

बनाम

1. श्रीमती मांगीबाई बेवा गोपाल बैरागी, उम्र बालिग, निवासी ग्राम मोहना, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।.
2. राजकुमार पुत्र गोपाल बैरागी, उम्र बालिग, निवासी ग्राम मोहना, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।.
3. अनिल पुत्र गोपाल बैरागी, उम्र बालिग, निवासी ग्राम मोहना, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।.

प्रतिवादी/विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित - श्री प्रदीप बीलू अभिभाषक प्रार्थी
श्री आजाद हुसैन अभिभाषक अप्रार्थी सं0 02

दिनांक 06.02.2025

निर्णय

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के कथन संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने न्यायालय श्रीमान मे एक वाद पत्र अंतर्गत धारा 188 रा0टि0एक्ट का पेश किया है, प्रार्थीया को आशा है कि वाद पत्र अवश्य ही वादीया के पक्ष में डिकी होगा लेकिन निर्णय मे समय लगेगा इसलिए यह प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया जा रहा है। प्रार्थीया के एकल खाते की जमीन ग्राम मोहना, प0ह0 एकलिंगपुरा, तहसील रावतभाटा जिला चित्तौडगढ, राजस्थान मे स्थित है जिसके खाता संख्या 229 खसरा संख्या 481 रकबा 1.5100 हैक्टर जमीन स्थित है. इसी प्रकार मुझ प्रार्थीया के संयुक्त खाते की जमीन ग्राम विजयपुर, प0ह0 एकलिंगपुरा, तहसील रावतभाटा मे जिसकी खाता संख्या 29 खसरा संख्या 259 रकबा 0.8000 हैक्टर जमीन है, जिसमे मुझ प्रार्थीया की बहन कला बाई, जानीबाई व मेरी मां कस्तुरी बाई सहखातेदार है, इन सभी मे हमारा 1/4-1/4 का हिस्सा है, इसमे मेरी मां कस्तुरी बाई का निधन हो चुका है तथा अब हमारा 1/3 का हिस्सा रह गया है, मेरी पिता के कोई जाईन्दा पुत्र नही है केवल हम तीन पुत्रियां है, लेकिन मेरे पिता की जमीन पर मै अकेली ही काबिज हूँ। हमारे ही गांव के गोपाल बैरागी से मेरी पहचान थी. इसीलिए मैने उसे मेरी खाते की जमीन आधी पाती पर खेती करने के लिए दे रखी थी, पिछले साल हरियाली अमावस्या पर गोपाल का निधन हो गया, अब अप्रार्थीगण जो गोपाल के वारिसान है उनके मन मे बंदियांति आ गई है तथा वह मुझे ब्लैक मेल कर रहे है कि पांच लाख रू0 दो नहीं तो हम तुम्हे जमीन पर खेती नही करने देंगे, जबकि गोपाल मेरे से कोई राशि नही मांगता था, उल्टा मे गोपाल से राशि मांगती हूँ, जानीबाई भी गोपाल से रूपये मांगती है, गोपाल ने मेरी 15 बोरी धनिये कि फसल बेच दी जिसके भी रूद्र नही दिये तथा मेरे तार भी बेच दिये मैने गोपाल कि बेटी को चार हजार रू0 भी मोबाईल पर गोपाल के कहने से डाले थे वह भी नही दिये। अब अप्रार्थीगण मुझे ब्लैक मेल कर रहे है तथा मुझे मेरी खाते की जमीन पर खेती नहीं करने दे रहे है, मेरे खेत पड़त पड़े हुए है, कोई भी ट्रेक्टर वाले को [illegible] जाती हूँ तो खेत हंकवाने नही देते है, मेरे बेटे नरेन्द्र पर प्रतिवादी राजकुमार ने शिकरात्रि [illegible] एक [illegible] पहले तलवार अड़ा कर धमकिया दी थी कि खेत मत हांकना नही तो जान से [illegible] जिससे क्षति हो रही है। दिनांक 25.11.2024 को जब मै खेत पर गई तो [illegible] झगडा करने पर अमादा हु[illegible] वाद कारण दिनांक 25.11.2024 से उत्पन्न होकर हर रोज उत्पन्न [illegible] है। अंत में प्रार्थीया ने [illegible] किया है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा ताफैसला वाद तक अप्रार्थीगणों को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.03.25 10:48:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

Scanned with OKEN Scanner

पाबंद फरमाया जावे कि वह प्रार्थीया के एकल व संयुक्त खाते की आराजी जो ग्राम मोहना व विजयपुर में स्थित है, जिसका उल्लेख प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 02 में किया गया है, उसमें अप्रार्थीगण मुझे काश्त करने नहीं रोके तथा ट्रेक्टर को हकाई जुताई करने से नही रोके इस बाबत जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित कर तदनुसार डिक्री जारी फरमाई जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को तलब किया गया। विपक्षी संख्या 01 व 03 न्यायालय में अनुपस्थित रहने से दिनांक 23.01.2025 को इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित हुए। अप्रार्थी संख्या 02 न्यायालय में अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध दिनांक 06.02.2025 को एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित हुए।

प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थीया पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की एकतरफा बहस सुनी। वकील प्रार्थीया ने प्रार्थना-पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीया के एकल खाते की जमीन ग्राम मोहना, प0ह0 एकलिंगपुरा, तहसील रावतभाटा जिला चित्तौडगढ, राजस्थान मे स्थित है जिसके खाता संख्या 229 खसरा संख्या 481 रकबा 1.5100 हैक्टर जमीन स्थित है. इसी प्रकार मुझ प्रार्थीया के संयुक्त खाते की जमीन ग्राम विजयपुर, प0ह0 एकलिंगपुरा, तहसील रावतभाटा मे जिसकी खाता संख्या 29 खसरा संख्या 259 रकबा 0.8000 हैक्टर जमीन है, जिसमे मुझ प्रार्थीया की बहन कला बाई, जानीबाई व मेरी मां कस्तुरी बाई सहखातेदार है, इन सभी मे हमारा 1/4-1/4 का हिस्सा है, हमारे ही गांव के गोपाल बैरागी से मेरी पहचान थी. इसीलिए मैने उसे मेरी खाते की जमीन आधी पाती पर खेती करने के लिए दे रखी थी, पिछले साल हरियाली अमावस्या पर गोपाल का निधन हो गया, अब अप्रार्थीगण जो गोपाल के वारिसान है उनके मन मे बंदियांति आ गई है तथा वह मुझे ब्लैक मेल कर रहे है कि पांच लाख रू0 दो नहीं तो हम तुम्हे जमीन पर खेती नही करने देंगे, जबकि गोपाल मेरे से कोई राशि नही मांगता था, उल्टा मे गोपाल से राशि मांगती हूँ। अंत में प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा ताफैसला वाद तक अप्रार्थीगणों को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वह प्रार्थीया के एकल व संयुक्त खाते की आराजी जो ग्राम मोहना व विजयपुर में स्थित है उसमें अप्रार्थीगण प्रार्थीया को काश्त करने से नहीं रोके तथा ट्रेक्टर को हकाई जुताई करने से नही रोके इस बाबत जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित कर तदनुसार डिक्री जारी फरमाई जावें।

-:आदेश:-

हमने पत्रावली का अवलोकन किया अप्रार्थीगण की एकतरफा कार्यवाही होने से वकील प्रार्थीया की एकतरफा बहस पर मनन किया प्रार्थीया के एकल खाते की जमीन ग्राम मोहना, प0ह0 एकलिंगपुरा, तहसील रावतभाटा जिला चित्तौडगढ, राजस्थान मे स्थित है जिसके खाता संख्या 229 खसरा संख्या 481 रकबा 1.5100 हैक्टर जमीन स्थित है एवं ग्राम विजयपुर, प0ह0 एकलिंगपुरा, तहसील रावतभाटा की जमाबंदी में खाता संख्या 29 खसरा संख्या 259 रकबा 0.8000 हैक्टर भूमि में मांगी बाई पुत्री माधु पत्नि राधेश्याम के नाम खातेदारी व सहखातेदारी से राजस्व दर्ज रिकार्ड है तथा अप्रार्थीगण न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण एकतरफा कार्यवाही से व किसी प्रकार का खण्डन नही करने से प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वतः प्रमाणित होता है, जिससे प्रथमदृष्टया हक प्रार्थीया का होना साबित होता है, वर्तमान में सुविधा का सन्तुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में न होकर प्रार्थीया के पक्ष में अधिक है, ऐसी स्थिति में प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाये जाने से स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 01 से 03 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि प्रार्थीया की कब्जेकाश्त की कृषि आराजीयात संख्या 259 व 481 पर मूल वाद के निस्तारण तक किसी प्रकार की दखलअंदाजी नहीं करे तथा प्रार्थीया को काश्त व हकाई,जुताई करने से ना तो स्वयं व अन्य किसी दिगर व्यक्ति से रूकवायें।

निर्णय आज दिनांक 06.02.2025 को सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.03.25 10:48:41 IST
Reason: SelfAttested

(महेश गगोरिया) R.A.S.
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा

Scanned with OKEN Scanner